संजय कुमार, न्यायधीश के समक्ष

ज्ञानी राम (मृतक) एलआर के माध्यम से-याचिकाकर्ता

बनाम

बाबा प्रीतम सेवा समिति और अन्य -उत्तरदाता

सी. आर. सं. **2016** का **936**

22 नवंबर, 2019

भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद **227-** पुनिरिक्षण याचिका-सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908-O.1 R1.10 -** स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद - मुख्य वादी -आवश्यक और उचित पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल किए जाने के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा आवेदन-वाद संपत्ति की याचिका इसकी देखभाल और नियंत्रण में है-निचली अदालत द्वारा अनुमति दी गयी - आयोजित, मुकदमा करने के लिए पार्टियों को चुनना वादी का काम है-मुकदमा करने के लिए पार्टियों को चुनना वादी का काम है- जब तक कोई तीसरा पक्ष 'आवश्यक' या 'उचित' पक्ष न हो, ऐसा नहीं है वादी की इच्छा के विरुद्ध फंसाया जाए - 'आवश्यक' और 'उचित पक्षकार' ने समझाया।

यह माना गया कि उपरोक्त पूर्ववर्ती कानून के आलोक में, यह स्पष्ट है कि जब तक किसी तीसरे पक्ष को 'आवश्यक' या 'उचित' पक्षकार नहीं दिखाया जाता है, तब तक वह वादी की इच्छाओं के विरुद्ध वाद कार्यवाही में शामिल होने की कोशिश नहीं कर सकता है, जो मुख्य रूप से वादी है। आमतौर पर यह वादी को चुनना होता है कि वह किसके खिलाफ मुकदमा करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है और केवल निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में, वादी द्वारा विकल्प के इस तरह के प्रयोग को उच्च स्तर की स्वीकृति प्राप्त होती है।

(पैरा 13)

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908-O. 1 Rl.10-** मुख्य वादी का नियम -पूर्ण नहीं-माना गया, आवश्यक और/या उचित पक्ष नियम का एकमात्र अपवाद है- वादी की पसंद की पार्टी अधिक स्वीकृति प्राप्त करती है - किसी निषेधाज्ञा मुकदमे का कोई तीसरा पक्ष किसी डिक्री से बाध्य नहीं होगा - तथ्यों के आधार पर, प्रतिवादी ने निषेधाज्ञा मुकदमे के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं माना - दिए गए किसी भी निषेधाज्ञा से बाध्य नहीं होगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे का कोई तीसरा पक्ष उसमें पारित किसी डिक्री से बाध्य नहीं होगा।इसके अलावा, चूंकि शीर्षक के मुद्दे को केवल संयोग से ही लिया जाएगा, यदि ऐसा हो भी सकता है उस मुकदमे में ऐसे किसी भी तीसरे पक्ष के खिलाफ कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है।

(पैरा 13)

इसके अलावा यह माना गया कि, नामित प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे के फैसले के लिए समिति की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। इसलिए निचली अदालत में समिति की अनुपस्थिति में डिक्री पारित करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इसके अलावा, चूंकि समिति विषय मुकदमे में निचली अदालत द्वारा दिए गए किसी भी निषेधाज्ञा से बाध्य नहीं होगी और ऐसे मुकदमे की कार्यवाही में निचली अदालत द्वारा जिन सभी पर विचार किया जाएगा वह केवल नामित प्रतिवादियों के खिलाफ वादी का दावा होगा, समिति को ऐसी मुकदमे की कार्यवाही में उचित पक्ष भी नहीं माना जा सकता।

(पैरा 14)

संजीव गुप्ता, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए।

गौरव त्यागी, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

संजय कुमार, न्यायमूर्ति

(1) संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर इस दीवानी पुनरीक्षण में याचिकाकर्ता, विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गुड़गांव (इसके बाद, 'ट्रायल कोर्ट') की फाइल पर संख्या 2010 के दीवानी मुकदमे संख्या 318 में वर्तमान वादी हैं। उन्हें मृतक मूल एकमात्र वादी के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया था।उक्त मुकदमा उनके द्वारा एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था जिसमें नामित प्रतिवादियों को, जिनकी संख्या 11 थी, मुकदमे की संपत्ति पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने और उन्हें वहां से बेदखल करने से रोक दिया गया था। वैकल्पिक रूप से, यदि उन्हें मुक़दमे की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था, तो उन्होंने प्रतिवादियों को मुक़दमे की संपत्ति का खाली कब्जा उन्हें सौंपने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की।

(2) जबकि, इसमें पहले प्रतिवादी, बाबा प्रीतम सेवा समिति, ग्राम जौरी, फारुख नगर, गुड़गांव (इसके बाद, 'समिति') ने आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत मुकदमे में एक याचिका दायर की जिसमें एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की मांग की गई। दिनांक 27.07.2015 के आदेश द्वारा, निचली अदालत ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और समिति को प्रतिवादी No.12 के रूप में शामिल कर लिया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं।

(3) इस संशोधन में पारित दिनांक 21.04.2016 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने मुकदमे/मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन पक्षकार बनाने के आदेश पर रोक लगा दी।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संजीव गुप्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने डोमिनस

लिटिस के सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने आदेश पर किसी तीसरे पक्ष को निषेधाज्ञा मुकदमे में शामिल करने का निर्देश देकर गलती की। एक निषेधाज्ञा मुकदमा, उसके कहने पर

(5) इसके विपरीत, समिति के विद्वान वकील श्री गौरव त्यागी इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत द्वारा उसे पक्षकार बनाने का निर्देश देना उचित था क्योंकि यह अदालत को मुकदमे में उठाए गए मुद्दों पर व्यापक और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा।

(6) दोनों विद्वान वकीलों ने मामले के कानून पर भरोसा जताया।

(7) समिति द्वारा दायर अभियोग आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि उसने दावा किया था कि मुकदमा संपत्ति एक समाधि थी, जिसे बाबा प्रीतम दास साध समाधि के नाम से जाना जाता है, जो गाँव जौरी कलां की आबादी में थी और व्ही उसकी देखभाल और नियंत्रण में थी। इसी आधार पर समिति ने दावा किया कि वह मुकदमे में एक आवश्यक पक्षकार है और उसने पक्षकार बनाने की मांग की।

(8) एकमात्र मूल वादी ने इस आवेदन का यह कहते हुए विरोध किया कि समिति न तो आवश्यक और न ही एक उचित पक्ष थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि समिति एक पंजीकृत सोसायटी थी और मुकदमे की संपत्ति उसके स्वामित्व और कब्जे में थी। उन्होंने दावा किया कि सोसायटी के रूप में समिति का पंजीकरण पहले ही सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(9) पुनरीक्षण आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि निचली अदालत ने पाया कि समिति दिनांक 15.03.2013 के संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र के आलोक में एक पंजीकृत सोसायटी थी। निचली अदालत ने राय दी कि तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, समिति की उपस्थिति आवश्यक थी ताकि अदालत मुकदमे में सभी प्रश्नों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निपटाने में सक्षम हो सके। इसलिए निचली अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि समिति एक आवश्यक पक्षकार थी और मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 12 के रूप में उसे शामिल करने का आदेश दिया।

(10) आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के संदर्भ में, किसी तीसरे पक्ष को मुकदमे की कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करना न्यायालय की शक्ति के भीतर है, यदि ऐसा पक्ष या तो आवश्यक या उचित पक्ष पाया जाता है। तय कानूनी स्थिति यह है कि एक पक्ष को एक 'आवश्यक पक्ष' तब माना जाएगा यदि ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती हो। हालाँकि, यदि वाद का निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन तीसरा पक्ष यह दर्शाता है कि वाद के विषय में उसके कुछ महत्वपूर्ण हित है, तो ऐसे पक्ष को 'उचित पक्ष' माना जाएगा।वास्तव में, एक 'उचित पक्ष' एक 'आवश्यक पक्ष' नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वह मुक़दमे की विषय में इस तरह के स्थापित हित के आधार पर वाद की कार्यवाही में रिकॉर्ड पर आने का हकदार होगा। यह **कस्तूरी बनाम इय्यामपेरुमल और अन्य**[1] में उच्चतम न्यायलय के फैसले का आयत था। इस निर्णय में विचाराधीन मुकदमा बिक्री के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए था। समझौते के एक तीसरे पक्ष

(1)2005 ए. आई. आर. (एस. सी.) 2813:2005 (6) एस. सी. सी. 733

ने, मुकदमा समझौते की संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार का दावा करते हुए, इसमें एक पक्ष के रूप में शामिल होने की मांग की। इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक 'आवश्यक पक्ष' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, दो परीक्षणों को पूरा करना होगाः(i) कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में ऐसे पक्षकार के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए, और (ii) ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 'आवश्यक पक्ष' वे व्यक्ति हैं जिनकी अनुपस्थिति में, न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है या कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में ऐसे पक्षों के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए, जबकि 'उचित पक्ष' वो हैं जिनकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक होगी ताकि अदालत प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय ले सके और मुकदमे में शामिल सभी सवालों का निपटारा कर सके, हालांकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे में कोई राहत का दावा नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि एक वादी को, मुख्य पात्र होने के नाते, उस पक्ष को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है जब तक कि यह कानून के शासन की मजबूरी से न हो। कस्तूरी के मामले (सुपरा) में निर्धारित अनुपात की पुष्टि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ***गुरमीत सिंह भाटिया*** *बनाम* ***किरण कांत रॉबिन्सन और अन्य*** [(2)] मामले में की थी।

(11) ***भुल्ला राम बनाम जिल सिंह*** [(3)] के मामले में इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश का निर्णय इस मायने में अलग है क्योंकि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां अभियुक्त आवेदक का हित सीधे तौर पर शामिल दिखाया गया था और मुकदमे के निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना थी, डोमिनस लिटिस का सिद्धांत लागू नहीं होगा और मुकदमे के विवाद के प्रभावी निर्णय के लिए ऐसे पक्ष की उपस्थिति आवश्यक मानी जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से उस मामले में, राज्य और उसके अधिकारियों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, लेकिन अभियुक्त आवेदक, जो राज्य के तहत वाद संपत्ति का आवंटनकर्ता था, को एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ कि आबंटित व्यक्ति का मुकदमे की कार्यवाही में सीधा हित था। इसी तरह, **ग्राम पंचायत गढ़ी बनाम धरमबीर**[(4)] में इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश का निर्णय भी तथ्यों पर भिन्न था। यह एक स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा के मुकदमे से संबंधित मामला था और अभियुक्त आवेदकों ने का दावा किया कि उन्होंने नामित प्रतिवादी के साथ बिक्री का समझौता किया था, लेकिन वे उसके पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित नहीं कर सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि विचाराधीन संपत्ति पर उनका कब्ज़ा है और इसलिए निषेधाज्ञा के अनुदान से वे गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि डोमिनस लिटिस का नियम एक पूर्ण नियम नहीं था और कानून इसके अपवादों का प्रावधान करता है। विद्वान न्यायाधीश ने उन कारकों का संकेत दिया जिन पर इस प्रश्न का निर्धारण करते समय विचार किया

(2)2019 ए.आई.आर.(एससी) 3577

(3)2001(3) आर.सी.आर (सिविल) 673:2001(3) पीएलआर 500

(4)1998 (2) आर.सीवी.आर (सिविल) 98:1998(1) पीएलआर 809 964

जाएगा किक्या किसी पक्ष को **कृष्ण लाल बनाम सुरेश कुमार और अन्य** [(5)] **और *राजपाल कौर और अन्य बनाम हजारा सिंह***[(6)]में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर वादी की इच्छाओं के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए :-

> '(क) क्या आवेदक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक आवश्यक और उचित पक्ष है?
>
> (ख) क्या मामले का प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने और हकदार पक्ष को एक पूर्ण और प्रभावी डिक्री देने के लिए न्यायालय के समक्ष ऐसे पक्ष की उपस्थिति आवश्यक है?
>
> (ग) क्या ऐसा इच्छुक पक्ष ऐसे व्यक्तियों के डिक्री में परिणत होने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा या इसका प्रभाव केवल दूरस्थ, परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा?
>
> उपरोक्त के अलावा, जहां न्यायालय उचित और पूर्ण निर्णय के लिए किसी पक्ष की उपस्थिति को आवश्यक समझता है, तो यह अच्छी तरह से प्रासंगिक माना जा सकता है कि क्या ऐसे पक्ष के गैर-पक्षकार के परिणामस्वरूप मुकदमे की परिहार्य बहुलता होगी, तो पक्ष को नए मुकदमे में जाने के लिए मजबूर करने के बजाय एक पक्ष को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांत संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि केवल यह संकेत दे रहे हैं कि न्यायालय द्वारा इस तरह के विचार के अलावा क्या विचार किया जा सकता है, जिस पर न्यायालय द्वारा किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से विचार किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा किसी वाद या कार्यवाहियों में निर्धारित किए जाने वाले प्रश्नों से प्रभावित होने वाले पक्ष को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने और पूर्ण निर्णय करने का विधायी इरादा, आदेश 1 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से संहिता 'में नियम 10-ए की शुरूआत से स्पष्ट है।

12. श्री गुरुद्वारा साहिब सिद्धसर और एक अन्य बनाम श्रोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और अन्य[(7)] मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है**,** जिसमें एक विद्वान न्यायाधीश उसके कहने पर किसी तीसरे पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे में शामिल करने पर विचार कर रहे थे और देखा कि जब कोई वादी नामित प्रतिवादी के खिलाफ एक साधारण स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करता है, तो एक तीसरे पक्ष को, भले ही वह विचाराधीन संपत्ति का मालिक होने का दावा करता हो, उसे उचित या आवश्यक पक्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नामित प्रतिवादी के खिलाफ पारित किया जाने वाला

---

(5)1998(2) आर. सी. आर (सिविल) 364

(6)1998(2) आर. सी. आर (सिविल) 100

(7)2012 ए.आई.आर. सीसी 2326:2013(7) आर. सी. आर (सिविल) 2216

कोई भी डिक्री ऐसे तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी नहीं होगी, क्योंकि उसे मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। **सरूप सिंह और एक अन्य बनाम सिंडर कौर और अन्य** [(8)] और **रामपत बनाम श्री मंदिर ठाकुर द्वार सुहरा में और अन्य** [(9)] में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात समान था

(13) अपरोक्त पूर्ववर्ती कानून के आलोक में, यह स्पष्ट है कि जब तक किसी तीसरे पक्ष को या तो 'आवश्यक' या 'उचित' पक्षकार नहीं दिखाया जाता है, तब तक उसे वादी की इच्छाओं के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही में शामिल करने की मांग नहीं कर सकता है। डोमिनस लिटिस कौन है? यह आमतौर पर वादी को चुनना होता है कि वह किस पर मुकदमा करना चाहता है या उसके खिलाफ आगे बढ़ना चाहता है और केवल निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में, वादी द्वारा विकल्प के इस तरह के प्रयोग को उच्च स्तर की स्वीकृति प्राप्त करता है।यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि निषेधाज्ञा के मुकदमे का कोई तीसरा पक्ष उसमें पारित किसी भी डिक्री से बाध्य नहीं होगा। इसके अलावा, चूंकि स्वामित्व के मुद्दे को केवल संयोग से ही लिया जाएगा, यदि ऐसा है भी, तो उस मुकदमे के किसी भी तीसरे पक्ष के खिलाफ इसका कोई बाध्यकारी बल नहीं हो सकता है।

(14) मौजूदा मामले में, हालांकि निचली अदालत ने राय दी कि समिति एक 'आवश्यक पक्ष' थी, लेकिन यह अदालत यह समझने से असमर्थ है कि निचली अदालत इस तरह के निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। नामित प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे के फैसले के लिए समिति की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। इसलिए समिति की अनुपस्थिति में निचली अदालत के आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं होने की संभावना पैदा नहीं हुई। इसके अलावा, चूंकि समिति विषय मुकदमे में निचली अदालत द्वारा दिए गए किसी भी निषेधाज्ञा से बाध्य नहीं होगी और इस तरह की मुकदमे की कार्यवाही में निचली अदालत द्वारा जिस पर भी विचार किया जाएगा, वह वादी का दावा केवल नामित प्रतिवादियों के खिलाफ होगा, समिति को ऐसे मुक़दमे की कार्यवाही में एक उचित पक्ष भी नहीं माना जा सकता।

(15) इस प्रकार देखा जाए तो, समिति को पक्षकार बनाने वाला निचली अदालत का आदेश न्यायिक जांच में टिक नही पाता है। इसलिए विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गुड़गांव द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.07.2015 को रद्द कर दिया जाता है।तदनुसार नागरिक संशोधन की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो समिति को न्यायिक जांच में टिक नहीं पाता है। इसलिए विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गुड़गांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2015 को रद्द किया जाता है। तदनुसार नागरिक पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है।

(16) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

त्रिभुवन दहिया

---

(8)2011 (2) लॉ हेराल्ड 1470

(9)1988(2) आर. आर. आर 257:1987 पीएलजे 654 966

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

गौरव बंसल

अनुवादी